

WESTERN RAILWAY

P.S.No. 12/2013

Headquarter Office,  
Churchgate, Mumbai-20

No. EP 296/0 Policy

Date:26.02.2013

To,  
All DRMs / CWMs & Units Incharge,  
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.  
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai  
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Forwarding of applications from Technical Supervisors for the posts  
outside Railways on deputation basis to various others Govt.  
Departments & PSUs / Autonomous bodies & Non-release Regarding.

=====

A copy of Railway Board's letter No.E(NG) I-2012/AP/1 dated 06.02.2013  
(RBE No.10/2013) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

26/2/2013

( S. Kademani )  
For General Manager(E)

**GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF RAILWAYS  
(RAILWAY BOARD)**

No. E(NG)I-2012/AP/1

New Delhi, dated 06.02.2013

The General Managers(P),  
All Zonal Railways & PUs.  
(As per standard list).


Sub: Forwarding of applications from Technical Supervisors for the posts outside Railways on deputation basis to various others Govt. Departments & PSUs/Autonomous bodies & -Non-release Regarding.

As per extant instructions as contained in Para 244 of Indian Railway Establishment Code (IREC), Volume-I, Fifth Edition-1985, Third Reprint Edition-2008, reads with Para 1401 of Indian Railway Establishment Manual Volume-I (Revised Edition-1989), First Reprint Edition-2009, permission to a Railway servant to submit an application in response to advertised post outside the Railways like to Departments under the Government of India or under a State Governments, Public Sector Undertakings/autonomous bodies controlled by Central or State Governments, shall not ordinarily be refused unless the head of the office or department in which he is employed considers that the grant of permission would not be consistent with the interest of the public service. The competent authority should interpret the term "public interest" strictly subject to the condition that forwarding of application should be the rule rather than the exception. The cadre controlling authorities would consider each case only from the point of view whether the Railway servant could be spared or not no other general considerations should be applied in taking a decision in the case.

2. One of the Federations e.g. NFIR has brought to notice of Railway Board that Technical Staff (Senior Supervisors & Supervisors) working in Civil, Mechanical, Electrical and S&T Departments are not being released, on their selection, to various PSUs and other Government Organizations on deputation basis leading to create avoidable hardship to such staff.

3. The matter has accordingly been considered and Ministry of Railways wish to state that while following the procedure as contained in Board's letter No.E(NG)I-96/AP/2(2) dated 16.08.1999 and other service conditions as contained in paras 1402 to 1412 of Indian Railway Establishment Manual Volume-I (Revised Edition-1989), First Reprint Edition-2009, the compliance of the above instructions may also be ensured to enable Railway Technical staff to get exposure of working outside the Railways on deputation basis or otherwise and improve their performances/knowledge on return to parent Department.

Please acknowledge receipt.

  
(R. Mukundan)  
Executive Director Estt.(N)  
Railway Board

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.ई (एनजी)-1/2012/एपी/1

नई दिल्ली, 06.02.2013

महाप्रबंधक (पी),  
सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां.  
(मानक सूची के अनुसार)

**विषय:** तकनीकी पर्यवेक्षकों का रेलों के बाहर विभिन्न अन्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन के लिए आवेदन पत्रों को अग्रेषित करना तथा उन्हें कार्यमुक्त न करना।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वॉल्यूम-1(संशोधित संस्करण-1989), प्रथम पुनर्मुद्रण संस्करण-2009 के पैरा 1401 के साथ पठित भारतीय रेल स्थापना संहिता (आईआरईसी), वॉल्यूम-1, पंचम संस्करण, 1985, तृतीय पुनर्मुद्रण संस्करण-2008 के पैरा 244 में अंतर्विष्ट मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किसी रेल कर्मचारी द्वारा रेलों से बाहर भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों के विभागों, केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों द्वारा विज्ञापित पद के प्रत्युत्तर में किए गए आवेदन को उस स्थिति को छोड़कर जब तक कार्यालय अथवा उस विभाग, जिसमें कर्मचारी तैनात है, के प्रधान द्वारा यह न पाया जाए कि इस प्रकार की अनुमति प्रदान करना सार्वजनिक सेवा के हित में नहीं होगा, सामान्यतः अस्वीकार नहीं किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी को "सार्वजनिक हित" की व्याख्या सख्ती से इस प्रकार करनी चाहिए कि आवेदन को अग्रेषित करना अपवाद के बजाय नियम बने। संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी के द्वारा प्रत्येक मामले पर केवल इस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि रेल कर्मचारी को कार्यमुक्त किया जा सकेगा अथवा नहीं। ऐसे मामलों में निर्णय लेते समय किसी अन्य बात को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

2. एक फेडरेशन अर्थात् एनएफआईआर द्वारा रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि सिविल, यांत्रिक, विद्युत और सिग्नल एवं दूरसंचार विभागों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों (वरिष्ठ पर्यवेक्षकों एवं पर्यवेक्षकों) का विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर चयन होने पर कार्यभार मुक्त नहीं किया जा रहा है जिससे ऐसे कर्मचारियों के लिए अनावश्यक कठिनाई पैदा होती है।

3. तदनुसार इस मामले पर विचार किया गया है और रेल मंत्रालय यह सूचित करना चाहता है कि बोर्ड के दिनांक 16.08.1999 के पत्र सं. ई(एनजी)1-96/एपी/2(2) में अंतर्विष्ट प्रक्रिया और भारतीय रेल स्थापना नियमावली, वॉल्यूम-1 (संशोधित संस्करण-1989), प्रथम पुनर्मुद्रण संस्करण-2009 के पैरा 1402 से 1412 में अंतर्विष्ट अन्य सेवा शर्तों का पालन करते समय उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए ताकि रेलवे के तकनीकी कर्मचारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा अन्यथा, रेलवे से बाहर कार्य करने का अनुभव प्राप्त कर सकें और मूल विभाग में वापसी होने पर उनके कार्य निष्पादन/ज्ञान में सुधार हो सके।

कृपया पावती दें।

*(आर. मुकुंदन)*  
(आर. मुकुंदन)

कार्यपालक निदेशक स्थापना (अराजपत्रित)  
रेलवे बोर्ड